



सत्यमेव जयते

व/1
(बाबूलाल खराड़ी)
मंत्री

राजस्थान सरकार

गृह रक्षा विभाग वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26



निदेशालय, गृह रक्षा

राजस्थान, जयपुर

विवरणिका

	भाग-1 विभागीय सार-संक्षेप	पृष्ठ संख्या
1.1	भूमिका	1
1.2	संगठनात्मक ढाँचा	1-2
1.3	नियंत्रण	2
	भाग-2. निदेशालय का विवरण	
2.1	गृह रक्षा, निदेशालय	3-4
2.2	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान	5
	भाग-3. विभागीय कार्यप्रणाली	
3.1	गृह रक्षा के मुख्य कृत्य	6
3.2	गृह रक्षा की सीमा इकाई	6-7
3.3	गृह रक्षा की शहरी इकाई	8
3.4	शहरी गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन	9
3.5	सीमा गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नियोजन	10
3.6	केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम	11
3.7	पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता	12
3.8	वार्षिक योजना	12
3.9	प्रशस्ति पत्र	12
3.10	विभागीय जांच एवं निलम्बन	13
3.11	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग	13-14

	भाग-4. बजट प्रावधान	
4.1	शहरी गृह रक्षा बजट मद	15
4.2	सीमा गृह रक्षा बजट मद	16
4.3	पुलिस आधुनिकीकरण योजना शहरी गृह रक्षा	16
4.4	पुलिस आधुनिकीकरण योजना सीमा गृह रक्षा	17
4.5	वृहद् निर्माण कार्य	17
4.6	अनुरक्षण एवं मरम्मत	17
	भाग-5. विभाग की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ	18
	परिशिष्ट	
	(अ) विभाग का संगठनात्मक स्वरूप	19
	(ब) विभाग की जिले वाइज स्वयं सेवकों की नफरी व उनके नियोजन का विवरण	20

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26

भाग -1 विभागीय सार- संक्षेप

1.1 भूमिका :

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में "होमगार्डस" नाम का एक स्वयं सेवी संगठन खड़ा किया गया जो कि युद्ध के दौरान स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था को कायम रख सके तथा स्थानीय प्रशासन को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में सहायक हो सके। भारत वर्ष में स्वतंत्रता से पूर्व सर्वप्रथम 6 दिसम्बर 1946 को स्थानीय नागरिकों व पुलिस की सहायता के लिए "होमगार्ड" संगठन मुम्बई में स्थापित किया गया, तत्पश्चात् इसी धारणा के अनुरूप अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के संगठनों को स्थापित किया गया।

सन् 1962 में चीनी आक्रमण के मध्यनजर केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को अपनी-अपनी स्वयं सेवी संगठनों को एक संयुक्त सेना जिसका नाम "होमगार्डस" के नाम से स्थापित करने के निर्देश प्रदान किये गये जो कि संकल्प एवं चरित्र में स्वयं सेवी हो। राजस्थान में 'होमगार्डस' संगठन की स्थापना वर्ष 1962 में राजस्थान होमगार्डस अधिनियम 1963 एवं राजस्थान होमगार्डस नियम 1962 द्वारा की गई। यह संगठन राजस्थान में 63 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इस संगठन में वर्तमान में 30714 शहरी गृह रक्षा एवं सीमा गृह रक्षा दल के स्वयं सेवकों का विशाल बल है, जिनके साथ हजारों परिवार जुड़े हुए हैं। इसी के मध्यनजर समस्त भारत में प्रत्येक वर्ष 06 दिसम्बर को "गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा" दिवस मनाया जाता है।

1.2 संगठनात्मक ढाँचा :-

गृह रक्षा विभाग का संगठनात्मक ढाँचा "परिशिष्ट-अ" पर संलग्न है। गृह रक्षा की दो शाखाएं हैं। सीमा गृह रक्षा तथा शहरी गृह रक्षा

सीमा गृह रक्षा राज्य के चार सीमान्त जिलों क्रमशः बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में स्थित है। शहरी गृह रक्षा, राज्य के 41 जिलों में से 33 जिलों में है। स्वयंसेवकों का विवरण "परिशिष्ट-ब" पर संलग्न है। गृह रक्षा स्वयं सेवकों का नामांकन राजस्थान होम गार्डस नियम 1962 के अन्तर्गत एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जिले के ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम व 35 वर्ष से अधिक न हो।

इस विभाग का गठन निम्न प्रकार किया हुआ है :-

1. गृह रक्षा, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियन (चार सीमान्त जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, एवं श्री गंगानगर में)
4. शहरी गृह रक्षा इकाइयां (समस्त जिला स्तर पर)।

1.3 नियन्त्रण :-

1. यह विभाग राज्य में गृह विभाग के अधीन है तथा इस विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा के अधीन है। निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष की सहायतार्थ अति. महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महासमादेष्टा, सीनियर स्टाफ ऑफिसर तथा जूनियर स्टाफ ऑफिसर व अन्य अधिकारी नियुक्त हैं तथा अधीनस्थ इकाइयों में गण समादेष्टा/समादेष्टा/ उप समादेष्टा के पद स्वीकृत है एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।
2. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा का प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशक के अधीन है, जो कि उप महासमादेष्टा स्तर के अधिकारी होते हैं। इस संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु निदेशक के सहयोग के लिये उप निदेशक (उप समादेष्टा) एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियनों का नियन्त्रण गण समादेष्टा के अधीन है जिनकी सहायतार्थ उप गण समादेष्टा व अन्य स्टाफ अधिकृत हैं।
4. शहरी गृह रक्षा इकाइयां राज्य के समस्त जिलों में स्थापित है जिनका नियंत्रण समादेष्टा में निहित है तथा सहायक के रूप में अधीनस्थ कर्मचारी अधिकृत हैं।

भाग – 2 निदेशालय का विवरण

2.1 गृह रक्षा निदेशालय :-

वर्तमान में गृह रक्षा निदेशालय विद्याधर नगर जयपुर में कार्यरत है। स्थानाभाव के कारण निदेशालय की कुछ शाखाएँ जैसे कि केन्द्रीय भण्डार एवं डिस्पेंसरी, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर के गवर्नमेन्ट हॉस्टल के समीप पुरानी आलू फ़ैक्ट्री परिसर में कार्यरत हैं।

राज्य सरकार (जयपुर विकास प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 04.10.2019 को गृह रक्षा निदेशालय भवन हेतु विद्याधर नगर सैक्टर-4 जयपुर में 1250 वर्ग मीटर के दो भूखण्ड आवंटित किये गये थे, तथा उक्त भूमि पर गृह रक्षा निदेशालय भवन निर्माण हेतु राशि 1129.74 लाख एवं भवन में अतिरिक्त कार्यों हेतु 153.86 लाख कुल राशि रूपये 1283.60 लाख का बजट आवंटन किया गया था। वर्तमान में निर्माण कार्य पूर्ण होकर गृह रक्षा निदेशालय नवीन भवन में संचालित है। स्वीकृत तथा उपलब्ध स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.सं	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियाँ	विशेष विवरण
भारतीय पुलिस सेवा :					
1.	महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा	1	1	0	—
2.	अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा	1	0	1	—
3.	महानिरीक्षक, गृह रक्षा	1	1	0	—
राजस्थान गृह रक्षा सेवा :					
1.	उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा	2	2	0	—
2.	सीनियर स्टाफ ऑफिसर	2	2	0	—
3.	जूनियर स्टाफ ऑफिसर	1	0	1	—
4.	उप समादेष्टा (स्टोर)	1	1	0	—
5.	उप समादेष्टा (एल.आर.)	2	1	1	—
राजस्थान लेखा सेवा :					
1.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0	
2.	लेखाधिकारी	1	1	0	1 सहा. लेखा. प्रथम, लेखाधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित
राजस्थान चिकित्सा सेवा :					
1.	वरिष्ठ चिकित्सक	1	1	0	—

विभागीय अधीनस्थ सेवा :					
1.	कम्पनी कमाण्डर	1	1	0	—
2.	कम्पनी कमाण्डर आर्मीरर	1	1	0	—
3.	निरीक्षक (एम.टी.)	1	0	1	—
4.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1	—
5.	सूचना सहायक	2	2	0	—
6.	प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.)	1	0	1	—
7.	प्लाटून कमाण्डर	1	0	1	—
8.	मुख्य आरक्षी	3	2	1	—
9.	मुख्य आरक्षी आर्मीरर	2	0	2	—
10.	आरक्षी	14	12	2	—
11.	मशीनमैन	1	0	1	—
12.	आरक्षी वाहन चालक	1	1	0	—
13.	वार्ड ब्वाय	1	0	1	—
लेखा अधीनस्थ सेवा :					
1.	सहायक लेखाधिकारी—प्रथम	1	1	0	—
2.	सहायक लेखाधिकारी—द्वितीय	2	2	0	—
3.	कनिष्ठ लेखाकार	3	3	0	—
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	निजी सचिव	1	0	1	—
2.	निजी सहायक	2	0	2	—
3.	प्रशासनिक अधिकारी	3	3	0	1 अति. प्रशा. अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2	2	0	—
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	6	5	1	—
6.	वरिष्ठ सहायक	8	8	0	—
7.	कनिष्ठ सहायक	14	14	0	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	3	3	
2.	स्वीपर	1	1	0	
योग		93	72	21	—

2.2 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर :

राज्य में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा की स्थापना वर्ष 1982 में जयपुर में की गई थी। इस प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य कार्य गृह रक्षा संगठन के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस संस्थान पर नियन्त्रण एवं प्रशासनिक प्रबन्धन के लिए स्वीकृत एवं उपलब्ध अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियां	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1.	निदेशक	1	1	0	—
2.	उप समादेष्टा	1	1	0	—
अधीनस्थ सेवा :					
1.	सीनियर इंस्ट्रक्टर	1	0	1	—
2.	नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक	1	1	0	—
3.	कम्पनी कमाण्डर	1	1	—	—
4.	प्लाटून कमाण्डर	3	1	2	—
5.	मुख्य आरक्षी	6	1	5	—
6.	आरक्षी	13	9	4	—
7.	बिगुलर	2	2	0	—
8.	ड्रम मैन	2	2	0	—
9.	कांस्टेबल ड्राईवर	1	1	0	—
लेखा सेवा					
1	सहायक लेखाधिकारी—द्वितीय	1	1	0	—
मंत्रालयिक सेवा :					
1.	संस्थापन अधिकारी	1	1	0	
2.	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1	
3.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1	
4.	शीघ्र लिपिक (स्टेनो)	1	1	—	—
5.	वरिष्ठ सहायक	1	1	—	—
6.	कनिष्ठ सहायक	2	2	—	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1.	चौकीदार	2	0	2	—
2.	कुक	2	1	1	—
3.	कारपेन्टर	1	1	—	—
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	2	0	—
योग		47	30	17	—

भाग – 3 विभागीय कार्यप्रणाली

गृह रक्षा संगठन :-

3.1 गृह रक्षा के मुख्य कृत्य निम्न प्रकार हैं :-

1. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना।
2. अग्नि शमन, बचाव (Rescue), संचार एवं एम्बुलेंस सर्विसेज को आवश्यकता होने पर सहायता प्रदान करना।
3. असामान्य स्थिति में परिवहन, संचार, बिजली, जल तथा परमावश्यक सेवाओं को बनाये रखना।
4. सरकार की समाज कल्याण योजनाओं में मदद करना।
5. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार या महानिदेशक एवं महासमादेष्टा गृह रक्षा द्वारा समय-समय पर कार्य सौंपे जायें।

राजस्थान गृह रक्षा स्वयं सेवको ने प्रशासन व पुलिस के साथ मिलकर आंतरिक सुरक्षा व कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा विभिन्न प्राइवेट संस्थानों में सुरक्षा ड्यूटी करते हुए अपनी योग्यता का परिचय दिया है। वर्तमान में गृह रक्षा स्वयं सेवकों द्वारा राज्य के बाहर अन्य राज्यों में लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में पुलिस के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर पूर्ण लगन व उत्साह के साथ अपनी ड्यूटी देते हुए शान्तिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने में प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है, जिसकी समय-समय पर भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है जो कि संगठन की सक्रियता एवं उपयोगिता का एक अनुपम उदाहरण है। राज्य सरकार ने भी अनेक विभागों जैसे पुलिस, खनिज, बिजली, चिकित्सा, न्यायालय, नगर निगम, कोरोना महामारी इत्यादि में सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य गृह रक्षा स्वयं सेवको को देकर उनमें अपना विश्वास व्यक्त किया है।

3.2 सीमा गृह रक्षा दल (24 कम्पनियों)

प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण राजस्थान में शहरी गृह रक्षा के अतिरिक्त प्रत्येक सीमान्त जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में एक-एक बोर्डर विंग होम गार्ड बटालियन स्वीकृत है। प्रत्येक बटालियन में 6 कम्पनियाँ स्वीकृत हैं एवं प्रत्येक कम्पनी में 111 स्वयं सेवक नामांकित हैं। इस प्रकार से बोर्डर विंग होम गार्ड की चारों बटालियनों की कुल नफरी 2664 स्वयं सेवकों की है।

सीमा गृह रक्षा का मुख्य कृत्य सेना के सहायक के रूप में कार्य करना, सीमा क्षेत्र के निवासियों का मनोबल दृढ़ बनाये रखना तथा महत्त्वपूर्ण संस्थानों व संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा कर भारतीय सेना की कमान्ड में रहते हुए राष्ट्र की रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर चुनावों एवं अन्य अवसरों पर कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने तथा आन्तरिक सुरक्षा में पुलिस/प्रशासन की सहायता करना है। इन चारों बटालियनों (24 कम्पनियों) के प्रशिक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सीमान्त जिलों में गण समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ स्थाई स्टाफ की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियाँ	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1	गण समादेष्टा	4	2	2	—
2	उप गण समादेष्टा	4	3	1	—
अधीनस्थ सेवा :					
1	कम्पनी कमाण्डर	28	17	11	—
2	प्लाटून कमाण्डर	76	15	61	—
3	प्लाटून कमाण्डर आर्मीरर	4	—	4	—
4	प्लाटून कमाण्डर एम.टी.	4	1	3	—
5	मुख्य आरक्षी	24	8	16	—
6	मुख्य आरक्षी एम.टी.	3	—	3	—
7	मुख्य आरक्षी आर्मीरर	4	—	4	—
8	वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक	35	8	27	—
9	आरक्षी	103	9	94	—
अधीनस्थ लेखा सेवा :					
1	सहायक लेखाधिकारी—द्वितीय	4	3	1	—
मंत्रालयिक सेवा :					
1	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	4	3	1	—
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	3	1	—
3	वरिष्ठ सहायक	4	4	0	—
4	कनिष्ठ सहायक	16	9	7	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1	चौकीदार	21	1	20	—
2	स्वीपर	27	8	19	—
योग :		369	94	275	

3.3 शहरी गृह रक्षा (255 कम्पनियों) :-

राज्य के 41 जिलों में से 33 जिलों में शहरी गृह रक्षा दल की इकाइयां गठित हैं। जिसमें 13 महिला कम्पनियाँ सम्मिलित हैं, जिनकी कुल नफरी 1420 हैं व इन्हें राज्य के कानून एवं व्यवस्था हेतु सहयोगार्थ सभी जिलों में वितरित किया गया है। स्वयं सेवकों की अधिकृत नफरी का विवरण परिशिष्ट-“ब” पर संलग्न है।

प्रशिक्षण, नियन्त्रण एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन करने हेतु जिला इकाइयों में शहरी गृह रक्षा में समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ निम्नानुसार स्थाई स्टाफ आवंटित किया हुआ है :-

क्र.सं	नाम पद	स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्तियाँ	विशेष विवरण
राज्य सेवा :					
1	समादेष्टा (डिविजनल कमाण्डर)	12	10	2	—
2	उप समादेष्टा	29	17	12	—
अधीनस्थ सेवा :					
1	कम्पनी कमाण्डर	32	19	13	—
2	प्लाटून कमाण्डर	99	40	59	—
3	मुख्य आरक्षी	116	10	106	—
4	वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक	18	10	8	—
5	आरक्षी	131	65	66	—
अधीनस्थ लेखा सेवा :					
1	सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय	12	5	7	—
2	कनिष्ठ लेखाकार	1	1	0	—
अधीनस्थ चिकित्सा सेवा :					
1	कम्पाउण्डर	1	0	1	—
मंत्रालयिक सेवा :					
1	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0	—
2	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	7	6	1	—
3	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	14	14	0	—
4	वरिष्ठ सहायक	34	23	11	—
5	कनिष्ठ सहायक	42	31	11	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :					
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	19	16	3	—
2	चौकीदार	15	4	11	—
3	कुक	7	2	5	—
4	स्वीपर	6	3	3	—
योग :		596	277	319	—

- वर्तमान में विभाग में 1105 नियमित कार्मिकों की नफरी स्वीकृत है जिसके विरुद्ध वर्तमान में 473 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 632 पद रिक्त चल रहे हैं। स्थिति दिसम्बर 2025 तक की दर्शाई गई है।

नियोजन :

वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल, 2025 से दिसम्बर 2025 तक शहरी गृह रक्षा स्वयं सेवकों को निम्न प्रकार ड्यूटी पर नियोजित किया गया :-

3.4 शहरी गृह रक्षा

क्र.स.	ड्यूटी का नाम	सदस्यों की संख्या	अवधि
1	रात्रिगश्त एवं यातायात ड्यूटी	2740	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
2	शासन सचिवालय, ड्यूटी	513	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
3	विधान सभा भवन की सुरक्षा, ड्यूटी	12	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
4	अंता विधानसभा उप चुनाव 2025	322	09.11.2025 से 12.11.2025 तक
5	राज्य में न्यायिक आवासीय परिसर में नियोजन	285	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
6	कारागार विभाग	400	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
7	अभियोजन विभाग	300	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
8	बोर्ड पूरक परीक्षा 2025	27	06.08.2025 से 08.08.2025 तक
9	मेले / पर्वो / कानून-व्यवस्था ड्यूटियों	96698 मैनुअल	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
10	पश्चिम मध्य रेलवे	367	16.11.2025 से 31.12.2025 तक
11	विभाग में आरक्षी / आरक्षी वाहन चालक के रिक्त पदों के विरुद्ध ड्यूटी	128	01.04.2025 से 31.12.2025 तक

3.5 सीमा गृह रक्षा ड्यूटियों का विवरण :-

क्र.स.	ड्यूटी का नाम	सदस्यों की संख्या	अवधि
1	राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर	22	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
2	सुपर थर्मल पावर प्लांट छबड़ा जिला बारां	165	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
3	छबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना मोतीपुरा जिला बारां	175	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
4	सुजलान ग्लोबल सर्विसेज लि. जैसलमेर	25	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
5	काली सिन्ध सुपर थर्मल पावर प्लांट, झालावाड़	189	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
6	विद्युत विभाग बांसवाडा	12	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
7	केयर्न एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, बाड़मेर	94	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
8	एच.पी.सी.एल. रिफाइनरी लिमिटेड पंचपदरा बाड़मेर	99	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
9	वी.एस.लिग्नाईट पावर प्राइवेट लिमिटेड गुढा (बीकानेर)	58	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
10	वन विभाग, धौलपुर	10	01.11.2025 से 31.12.2025 तक
11	वन विभाग, भरतपुर	10	10.10.2025 से 31.12.2025 तक
12	मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा	108	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
13	रामगढ़ गैस थर्मल पावर आर जी.टी.वी.पी (रामगढ़ जैसलमेर)	27	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
14	गण कम्पनी मुख्यालय	24	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
15	हिल्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड देवीकोट, जैसलमेर	28	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
16	खान विभाग	466	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
17	राज. स्टेट मिनरल्स एण्ड माईन्स	17	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
18	खान विभाग (सर्तकता) जयपुर	10	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
19	खैरथल-तिजारा	111	01.04.2025 से 31.12.2025 तक
20	ऑपरेशन सिन्दूर	1110	09.05.2025 से 25.06.2025 तक

3.6 केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में वर्ष 2025-26 में संचालित पाठ्यक्रम :

(अ) स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम :-

क्र.सं	कोर्स का नाम	आवंटित सीटों की संख्या	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों का स्तर
1	टी.ओ.टी कोर्स	36	07.04.2025 से 18.04.2025 तक	UHG VOL
2	सर्च एण्ड रेस्क्यू कोर्स	36	21.04.2025 से 02.05.2025 तक	UHG VOL
3	लीडरशीप कोर्स	36	28.04.2025 से 09.05.2025 तक	UHG VOL
4	मानदपूर्व पदोन्नति कोर्स	36	05.05.2025 से 16.05.2025 तक	UHG VOL
5	आपदा प्रबन्धन	36	12.05.2025 से 23.05.2025 तक	UHG VOL
6	यातायात नियंत्रण कोर्स	36	19.05.2025 से 30.05.2025 तक	UHG VOL
7	वैपन कोर्स	36	02.06.2025 से 13.06.2025 तक	UHG VOL
8	ड्रिल कोर्स	36	09.06.2025 से 20.06.2025 तक	UHG VOL
9	ड्रिल कोर्स	36	23.06.2025 से 04.07.2025 तक	UHG VOL
10	फर्स्ट एड कोर्स	36	30.06.2025 से 11.07.2025 तक	UHG VOL
11	ड्रिल फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस कोर्स	36	07.07.2025 से 18.07.2025 तक	UHG VOL
12	लीडरशीप कोर्स	36	28.07.2025 से 08.08.2025 तक	UHG VOL
13	मानदपूर्व पदोन्नति कोर्स II	36	04.08.2025 से 15.08.2025 तक	UHG VOL
14	यातायात नियंत्रण कोर्स	36	11.08.2025 से 22.08.2025 तक	UHG VOL
15	आपदा प्रबन्धन कोर्स	36	18.08.2025 से 29.08.2025 तक	UHG VOL
16	वैपन एण्ड टैक्टिस कोर्स	36	08.09.2025 से 19.09.2025 तक	UHG VOL
17	ड्रिल कोर्स	36	15.09.2025 से 26.09.2025 तक	UHG VOL
18	फायर फाइटिंग कोर्स	36	29.09.2025 से 10.10.2025 तक	UHG VOL
19	लीडरशीप कोर्स	36	27.10.2025 से 07.11.2025 तक	UHG VOL
20	मानदपूर्व पदोन्नति कोर्स	36	03.11.2025 से 14.11.2025 तक	UHG VOL
21	यातायात नियंत्रण कोर्स	36	10.11.2025 से 21.11.2025 तक	UHG VOL
22	ड्रिल कोर्स	36	01.12.2025 से 12.12.2025 तक	UHG VOL
23	आपदा प्रबन्धन कोर्स	36	08.12.2025 से 19.12.2025 तक	UHG VOL
24	वैपन एण्ड टैक्टिस कोर्स	36	22.12.2025 से 02.01.2026 तक	UHG VOL

(ब) सीमा गृह रक्षा दल के स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण प्रोग्राम वर्ष 2025-26 :-

क्र.सं	कोर्स का नाम	आवंटित सीटों की संख्या	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों का स्तर
1	ड्रिल कोर्स	36	07.04.2025 से 18.04.2025 तक	BHG VOL
2	फायर फाइटिंग कोर्स	36	16.06.2025 से 27.06.2025 तक	BHG VOL
3	ड्रिल फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस कोर्स	36	14.07.2025 से 25.07.2025 तक	BHG VOL
4	टी. ओ. टी. कोर्स	36	25.08.2025 से 05.09.2025 तक	BHG VOL
5	ड्रिल फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस कोर्स	36	22.09.2025 से 03.10.2025 तक	BHG VOL
6	सर्च एण्ड रेस्क्यू कोर्स	36	17.11.2025 से 28.11.2025 तक	BHG VOL
7	वैपन कोर्स	36	15.12.2025 से 26.12.2025 तक	BHG VOL

3.7 पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता:—

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003-04 से होम गार्ड्स के आधुनिकीकरण को शामिल करते हुए पुलिस विभाग को स्वीकृत कुल राशि की 5 से 10 प्रतिशत राशि गृह रक्षा विभाग को दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

वित्त वर्ष 2025-26 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा स्टेट सिक्यूरिटी प्लान वर्ष 2025-26 में शामिल करने हेतु राशि रूपये 399.90 लाख के प्रस्ताव तैयार कर गृह रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये गये थे, जिसमें विभाग के राशि रूपये 164.65 लाख के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये है तथा राज्य सरकार द्वारा राशि रूपये 164.65 लाख के आईटमों के क्रय की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

3.8 वार्षिक योजना

08 नवीन जिलों में से कोटपूतली-बहरोड, ब्यावर में भूमि आवंटित है एवं डीडवाना-कुचामन, फलौदी एवं बालोतरा हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित की जा चुकी है। गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर, जालौर एवं झुंझुनू में कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

3.9 प्रशस्ति पत्र :-

महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा गणतंत्र दिवस, 2025 के अवसर पर 01 अधिकारी को सराहनीय सेवा पदक दिये जाने की घोषणा की गयी है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 63 वें गृह रक्षा स्थापना दिवस, 2025 की पूर्व संध्या पर राजस्थान के 02 अधिकारी को महानिदेशक, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा "रजत पदक एवं प्रशस्ति पत्र" व 06 अधिकारी/कार्मिक व 02 स्वयं सेवकों को "कांस्य पदक एवं प्रशस्ति पत्र" दिये जाने की घोषणा की गयी है।

63 वें गृह रक्षा स्थापना दिवस- 2025 के अवसर पर महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा द्वारा 03 अधिकारी 06 कार्मिक 04 स्वयं सेवक महानिदेशक एवं महासमादेष्टा प्रशस्ति पत्र एवं प्रशस्ति डिस्क तथा 8 अधिकारी/कार्मिक एवं 1 अन्य विभाग को महानिदेशक एवं महासमादेष्टा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त आलौच्य वर्ष 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 के दौरान 72 अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को अनुशासन संधारण तथा राज्य सेवार्थ कार्य के सराहनीय निष्पादनार्थ एवम् उत्साहवर्द्धनार्थ की गई सेवाओं की प्रतिष्ठा में महानिदेशक, गृह रक्षा एवं अतिरिक्त महानिदेशक, गृह रक्षा तथा उप महासमादेष्टा गृह रक्षा द्वारा प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया।

3.10 विभागीय जाँच/निलम्बन का ब्यौरा :-

गृह रक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक विचाराधीन निष्पादित विभागीय जाँच/निलम्बन आदि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	प्रकरण	01.01.2025 को विचाराधीन प्रकरण	01.01.2025 के पश्चात् प्राप्त प्रकरण	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण	31.12.2025 को लम्बित प्रकरण
1.	16 सीसीए	21	03	24	01	23
2.	17 सीसीए	00	02	02	01	01
3.	निलम्बन	01	04	05	01	04
योग :-		22	09	31	03	28

3.11 प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग :-

गृह विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.33 (5) गृह-9/2005 दिनांक 31.01.2012 द्वारा महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी रेग्यूलेशन एक्ट, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत 'कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी' नियुक्त किया गया है, जिसकी पालना में फरवरी 2012 से विभाग में सिक्यूरिटी अनुभाग की स्थापना की गई है। वर्तमान में इस अनुभाग का कार्य विभाग में उपलब्ध स्टाफ द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पदनाम	उपलब्ध
1.	महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर। (कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी)	1
2.	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।	1
3.	महानिरीक्षक, पुलिस गृह रक्षा राजस्थान जयपुर।	1
4.	सीनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।	1
5.	जूनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।	1
6.	वरिष्ठ सहायक	1
7.	कनिष्ठ सहायक	1
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
9.	गृह रक्षा स्वयं सेवक	2
योग :-		10

प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी अनुभाग के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है :-

1. राज्य में निजी सुरक्षा का कारोबार करने हेतु नवीन लाइसेन्स जारी करना एवं पूर्व में जारी लाइसेन्सों का नियमानुसार नवीनीकरण करना।
2. राज्य में कार्यरत निजी सुरक्षा अभिकरणों का समय-समय पर निरीक्षण करना एवं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 एवं राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम, 2022 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना।
3. राज्य में अवैध रूप से निजी सुरक्षा का कार्य करने वाली निजी सुरक्षा अभिकरणों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना।

प्रमुख कार्यों के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्तमान में राज्य में दिनांक 31.12.2025 तक कुल 4089 निजी सुरक्षा अभिकरणों को लाइसेन्स जारी किया गया है, जिसमें से 2138 प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी वैध लाइसेन्स के साथ कार्यरत है। राजस्थान प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम-2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर को कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियों को विगत 03 वर्षों में जारी लाइसेन्स का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं	लाइसेन्स का विवरण	वर्ष		
		2023	2024	2025 (दिनांक 31.12.2025 तक)
1	नवीन लाइसेन्स	362	357	330
2	लाइसेन्स नवीनीकरण	63	52	45
कुल योग :		425	409	375

गृह रक्षा विभाग में राजस्थान राज्य की विभिन्न निजी सुरक्षा एजेन्सियों से लाइसेन्स हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005 में निर्धारित फीस के रूप में दिनांक 01.01.2025 से 31.12.2025 तक आवेदन शुल्क राशि 1,21,75,000 /- (अनुमानित) राज्य कोष के आय मद में जमा हेतु भिजवाई गई है।

भाग - 4 (बजट संबंधी सूचना)

4.1 बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति वित्तीय वर्ष 2025-26

बजट मद - 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107 होमगार्ड (01) शहरी गृह रक्षा

(राशि लाखों में)

लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान वर्ष 2025-26			31.12.2025 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
01- संवेतन	3465.00	0.01	3465.01	2350.21	0.00	2350.21
03- यात्रा व्यय	40.00	0.01	40.01	20.42	0.00	20.42
04- चिकित्सा व्यय	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
05- कार्यालय व्यय	376.00	0.01	376.01	24.34	0.00	24.34
08- वृत्तिक और विशिष्ट सेवायें	4.00	0.00	4.00	2.49	0.00	2.49
09- किराया, रेंट और कर/रॉयल्टी	2.40	0.00	2.40	1.20	0.00	1.20
11- विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय	4.00	0.01	4.01	1.88	0.00	1.88
12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	30.00	0.00	30.00	25.77	0.00	25.77
18- मशीनरी और साज सामान/ औजार एवं संयंत्र	400.00	0.01	400.01	0.00	0.00	0.00
19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय	45.00	0.01	45.01	25.22	0.00	25.22
20- कार्यकलाप संबंधी वाहनों का संचालन एवं संधारण	95.00	0.01	95.01	47.09	0.00	47.09
29- प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	2000.00	0.01	2000.01	499.91	0.00	499.91
32- डिक्री प्रभार	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
36- वाहनों का किराया	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
37- वर्दीयां तथा अन्य सुविधाएं	10.50	0.01	10.51	9.57	0.00	9.57
41- संविदा व्यय	48.00	0.00	48.00	28.08	0.00	28.08
42- प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय	5500.00	0.00	5500.00	1953.07	0.00	1953.07
2070-00-107-01-00 योग :-	12019.93	0.09	12020.02	4989.25	0.00	4989.25

4.2 सीमा गृह रक्षा बजट मद
 बजट मद- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं
 107 - होमगार्ड (02) सीमा गृह रक्षा
 (राशि लाखों में)

लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान वर्ष 2025-26			31.12.2025 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
01- संवेतन	282.50	847.50	1130.00	163.45	495.14	658.59
03- यात्रा व्यय	3.25	9.75	13.00	1.70	5.11	6.81
04- चिकित्सा व्यय	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
05- कार्यालय व्यय	2.50	7.50	10.00	1.23	3.67	4.90
06- वाहनों का क्रय	14.75	44.25	59.00	2.06	6.18	8.24
08-वृत्तिक और विशिष्ट सेवायें	0.50	0.00	0.50	0.07	0.00	0.07
09- किराया, रेंट और कर/रॉयल्टी	0.10	0.00	0.10	0.02	0.00	0.02
11- विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय	0.15	0.00	0.15	0.09	0.00	0.09
18- मशीनरी और साज - सामान/औजार एवं संयंत्र	75.00	225.00	300.00	0.00	0.00	0.00
19- विद्युत प्रभार एवं जल व्यय	2.50	7.50	10.00	2.34	7.05	9.39
20- कार्यकलाप संबंधी वाहनों का संचालन एवं संधारण	10.00	30.00	40.00	6.69	20.06	26.75
29-प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	300.00	600.00	900.00	126.64	379.93	506.57
32- डिक्री प्रभार	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
37- वर्दीयां तथा अन्य सुविधाएँ	0.60	1.80	2.40	0.53	1.59	2.12
42- प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय	196.00	0.00	196.00	123.85	0.00	123.85
2070-00-107-02-00 योग	887.87	1773.30	2661.17	428.67	918.73	1347.40

4.3 पुलिस आधुनिकीकरण योजना शहरी गृह रक्षा
 बजट मद-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं
 107- होमगार्ड (03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना
 (01) - पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत शहरी गृह रक्षा हेतु राशि
 (राशि लाखों में)

लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान वर्ष 2025-26			31.12.2025 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
06 - वाहनो का क्रय	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
18 - मशीनरी और साज सामान/औजार एवं संयंत्र	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
2070-00-107-03-01 योग:-	0.02	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00

4.4 पुलिस आधुनिकीकरण योजना सीमा गृह रक्षा

बजट मद-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107 होमगार्ड - (03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

(02) - पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सीमा गृह रक्षा हेतु राशि

(राशि लाखों में)

लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान वर्ष 2025-26			31.12.2025 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
06- वाहनो का क्रय	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
18- मशीनरी और साज सामान / औजार एवं संयंत्र	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
2070-00-107-03-02 योग:-	0.02	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00

4.5 वृहद् निर्माण कार्य

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

बजट मद 4059-80-051-05-02

(02) गृह रक्षा विभाग

गृह रक्षा हेतु प्रशासनिक भवन

(राशि लाखों में)

लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान वर्ष 2025-26			31.12.2025 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
17-वृहद् निर्माण कार्य	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
योग:-	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

4.6 अनुरक्षण एवं मरम्मत

2059 लोक निर्माण कार्य

बजट मद - 2059-80-053-41-01

(01) गृह रक्षा विभाग के भवनों की मरम्मत

(राशि लाखों में)

लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान वर्ष 2025-26			31.12.2025 तक का व्यय		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	कुल
21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेंटेनेंस)	65.00	0.00	65.00	10.55	0.00	10.55
योग:-	65.00	0.00	65.00	10.55	0.00	10.55


भाग – 5

आलौच्य वर्ष 2025–26 की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ निम्नानुसार है :-

1. 08 नवसृजित जिलों में से कोटपुतली–बहरोड़, ब्यावर में भूमि आवंटित है एवं डीडवाना–कुचामन, फलौदी एवं बालोतरा हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित की जा चुकी है। शेष नवीन जिलों डीग, सलूमबर एवं खैरथल–तिजारा में भूमि आवंटित की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2. विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 2024–25 में कुल 10384 पौधों का वृक्षारोपण एवं वर्ष 2025–26 में कुल 25000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है।
3. ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान देश की पश्चिम सीमाओं पर भारतीय सेना के साथ सीमा गृह रक्षा दल के 1110 बॉर्डर होमगार्ड स्वयंसेवकों ने दिनांक 09.05.2025 से 25.06.2025 कुल 48 दिवस तक सेवाएँ प्रदान की गयी।
4. प्रत्येक जिला इकाई स्तर से वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध 9605 स्वयं सेवकों को पुनः प्रशिक्षण, 2946 स्वयं सेवकों को अग्रिम प्रशिक्षण एवं 499 स्वयं सेवकों को सामुहिक प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षित किया गया।
5. विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2025–26 में स्वयंसेवकों के कुल नियोजन में 6.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
6. मृतक स्वयं सेवकों के आश्रित को अनुकम्पात्मक नामांकन कर 57 आश्रितों को सदस्यता प्रदान कर बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
7. राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 1029 स्वयं सेवकों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
8. पुलिस विभाग की मांग अनुसार मेले पर्वों एवं कानून–व्यवस्था ड्यूटियों के दौरान लगभग 96,698 मानव दिवसों हेतु स्वयं सेवकों का नियोजन किया गया है।
9. स्वयंसेवकों का विभिन्न विभागों, उपक्रमों एवं ऐजेन्सियों में नियोजन में पारदर्शिता लाने के लिए होमगार्ड डिप्लॉयमेन्ट मेनेजमेन्ट सिस्टम (HDMS) सॉफ्टवेयर विकसित कर, स्वयंसेवकों का संपूर्ण नियोजन ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा है।
10. विभाग द्वारा वर्ष 2025–26 में राज्य स्तरीय क्रिकेट खेल प्रतियोगिता –2025 का आयोजन किया गया है।
11. अंता विधानसभा उप चुनाव 2025 में 322 होमगार्ड स्वयं सेवकों को दिनांक 09.11.2025 से 12.11.2025 तक नियोजन किया गया।

गृह रक्षा विभाग का संगठनात्मक स्वरूप

परिशिष्ट 'अ'



परिशिष्ट 'ब'

शहरी होमगार्ड्स की स्वीकृत/ऑनरोल नफरी/कमी का विवरण (दिनांक 31.12.2025 की स्थिति)											
क्र.सं.	जिले का नाम	अधिकृत नफरी			मौजूदा नफरी			रिक्तियां			कुल नियोजन
		पुरुष	महिला	कुल योग	पुरुष	महिला	कुल योग	पुरुष	महिला	कुल योग	
1	अजमेर	1660	60	1720	1374	52	1426	286	8	294	1350
2	अलवर	1310	80	1390	962	52	1014	348	28	376	975
3	बांसवाड़ा	330	35	365	265	29	294	65	6	71	281
4	बारां	530	20	550	439	2	441	91	18	109	373
5	बाड़मेर	455	20	475	395	3	398	60	17	77	367
6	भरतपुर	995	35	1030	783	30	813	212	5	217	581
7	भीलवाड़ा	770	35	805	654	33	687	116	2	118	507
8	बीकानेर	1025	35	1060	863	30	893	162	5	167	677
9	बून्दी	520	30	550	444	23	467	76	7	83	425
10	चित्तौड़गढ़	860	20	880	733	3	736	127	17	144	617
11	चुरू	530	20	550	438	12	450	92	8	100	213
12	दौसा	490	20	510	405	6	411	85	14	99	381
13	धौलपुर	420	20	440	357	1	358	63	19	82	249
14	डूंगरपुर	335	30	365	266	28	294	69	2	71	193
15	श्रीगंगानगर	690	40	730	575	33	608	115	7	122	379
16	हनुमानगढ़	440	35	475	381	30	411	59	5	64	281
17	जयपुर	3275	220	3495	2907	214	3121	368	6	374	3023
18	जैसलमेर	420	20	440	360	1	361	60	19	79	270
19	जालौर	270	20	290	235	1	236	35	19	54	225
20	झालावाड़	475	35	510	359	33	392	116	2	118	350
21	झुन्झुनूँ	305	25	330	272	25	297	33	0	33	201
22	जोधपुर	2270	110	2380	1980	110	2090	290	0	290	1384
23	करौली	420	20	440	363	1	364	57	19	76	255
24	कोटा	1945	70	2015	1707	51	1758	238	19	257	1360
25	नागौर	735	35	770	582	23	605	153	12	165	427
26	पाली	805	35	840	609	35	644	196	0	196	380
27	प्रतापगढ़	310	20	330	279	0	279	31	20	51	205
28	राजसमंद	550	70	620	456	66	522	94	4	98	310
29	सवाई माधोपुर	600	20	620	544	3	547	56	17	73	519
30	सीकर	625	35	660	526	30	556	99	5	104	474
31	सिरोही	345	20	365	239	0	239	106	20	126	210
32	टोंक	710	20	730	548	17	565	162	3	165	379
33	उदयपुर	1210	110	1320	833	83	916	377	27	404	867
कुल योग		26630	1420	28050	22133	1060	23193	4497	360	4857	18688

सीमा गृह रक्षा स्वयंसेवकों की नफरी के संबंध में विवरण

सीमा गृह रक्षा दल (दिनांक 31.12.2025 की स्थिति)					
क्र.सं.	गण का नाम	स्वीकृत नफरी	ऑन रोल नफरी	रिक्त पद	कुल नियोजन
1.	बाड़मेर	666	534	132	413
2.	जैसलमेर	666	545	121	387
3.	बीकानेर	666	539	127	427
4.	श्री गंगानगर	666	551	115	435
कुल योग		2664	2169	495	1662

नोट: वर्तमान में राज्य सरकार की स्वीकृति संख्या 06/2025-26 द्वारा ब्यावर के अलावा नवसृजित सात जिलों हेतु अतिरिक्त 1265 स्वयं सेवकों की नफरी की स्वीकृति प्रदान की गई है।